फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र — अशोक बनाम राज0 सरकार

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0) — मु0नं0-96/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 0.7300 है0 भूमि मुरलीपुर तह0 सिकराय जिला दौसा प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों की भूमि है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 24/2 रकबा 2 बिस्वा, 24/5 रकबा 14 बिस्वा, 24/6 रकबा 14 बिस्वा, 24/7 रकबा 19 बिस्वा, 24/8 रकबा 5 बिस्वा, 24/9 रकबा 4 बिस्वा थे। यह है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामअवतार अथवा प्रार्थीगण द्वारा यूको बैंक शाखा मानपुर से कभी भी अपनी उक्त भूमि के संबंध में लोन नहीं लिया गया है न ही बैंक के नाम राहिन दर्ज की गई है। लेकिन सहवन गलती से सैटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मियों द्वारा संवत 2071–2074 स्थायी संवत 2076 की जमाबंदी में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की भूमि मे रहन यूको बैंक मानपुर गलत रूप से अंकित कर दिया। तथा प्रार्थी संख्या 4 एवं 5 पार्वती की पुत्रीया है लेकिन राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से गलती से पुष्पा पुत्र पार्वती एवं विमला पुत्र पार्वती दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जावे एवं राहिन नोट को हटाया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किए है कि प्रार्थीगण के पिता 1 लगायत 3 के पिता रामअवतार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मुरलीपुर की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 एवं जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में रहननामा का कोई नोट नहीं लगा है संवत 2076 में ऑनलाईन सेग्रिगेशन के दौरान यह लिपिकीय त्रुटि ऑनलाईन जमाबंदी बनाते वक्त सहवन से दर्ज हो गयी थी। तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विमला एवं पुष्पा पुत्र पार्वती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि पत्रावली एवं जवाब तहसीलदार सिकराय के अवलोकन से विमला एवं पुष्पा पुत्रीया होना स्पष्ट है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दर्ज राहिन इन्द्राज बाबत भूमि खसरा नम्बर 34 के संबंध में यूको बैंक मानपुर का नो डयूज लेटर भी पेश किया गया है जिसमें किसी प्रकार का बकाया होने से बैंक द्वारा इन्कार किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 34 वाके ग्राम मुरलीपुर से यूको बैंक शाखा मानपुर के नाम दर्ज राहिन इन्द्राज को हटाया जाकर भूमि को राहिन मुक्त करने तथा प्रार्थीगण संख्या 4 एवं 5 विमला एवं पुष्पा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम में पुत्र के स्थान पर पुत्री दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	